

126

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विविध-८३/२०२२-१५५१ (१) पटना, दिनांक- ३०/१२/२२

बिहार मंत्रिपरिषद् की दिनांक-२७.१२.२०२२ को आहूत बैठक के मद सं०-०५ के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में श्री अनिल कुमार, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को दिनांक- ३१.१२.२०२२ को सेवानिवृत्ति के उपरान्त भवन निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर नियोजित किया जाता है।

१. यह नियोजन योगदान की तिथि से अगले ०१ वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए होगा।
२. नियोजित मुख्य वास्तुविद् के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।
३. योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
४. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-१०००० दिनांक-१०.०७.२०१५ की कंडिका-३(६)(i) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित मानदेय देय होगा। कंडिका-३(६)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षित हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
५. पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए श्री कुमार को मुख्य वास्तुविद् स्तर की सभी सुविधाएं अनुमान्य होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- ३०/१२/२२

ज्ञापांक:- १५५१ (१)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- ३०/१२/२२

ज्ञापांक:- १५५१ (१)

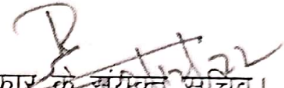
प्रतिलिपि:- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 9551 (१)

पटना, दिनांक- 30/12/20

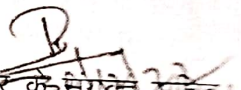
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 9551 (१)

पटना, दिनांक- 30/12/20

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/ श्री अनिल कुमार, मुख्य वास्तुविद/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय अवस्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख झापांक-9415 दिनांक-26.12.2022 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-27.12.2022 में मद संख्या-5 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

5. श्री अनिल कुमार, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को दिनांक-31.12.2022 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर अगले 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजन के संबंध में।

5. स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2 भाग J.S. (कमा.)

उप सचिव D
24/12

S.O. 110 Q
27/12

सचिव
27/12/22